अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41 - DEPARTMENT OF REVENUE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,00*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	11122,10,00	15481,92,00	15448,78,43	-33,13,57
पूरक	Supplementary	4359,82,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,74,85
पूंजीगतः	**Capital :**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	77,00	27,87,00	25,11,30	-2,75,70
पूरक	Supplementary	27,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,37,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" - "Secretariat - General Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	14448.00			
			12215.83	11995.60	-220.23
पु.	R.	-2232.17			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	6072.00			
पू.	S.	1.00	6571.38	6313.64	-257.74
पु.	R.	498.38			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	3764.00			
पू.	S.	568.00			
पु.	R.	-352.06	3979.94	3784.38	-195.56
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	47744.00			
पु.	R.	-17228.00	30516.00	30181.52	-334.48
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1037600.00			
पू.	S.	435413.00	1491694.00	1491694.00	..
पु.	R.	18681.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	2500.00			
			1000.00	880.09	-119.91
पु.	R.	-1500.00			

(I) ₹305.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹200.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2070" - "आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय निधि" के अंतर्गत एनएफसीडीए के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹305.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2070" – "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account –Transfer to National Fund for Control of Drug Abuse" – due to availability of sufficient funds under NFCDA.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "स्वापक नियंत्रण - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण संबंधी व्यय" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹700.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो जिलाधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, अन्य संगठन को अंतरालों पर धनराशि जारी किए जाने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पुरस्कार को मंजूरी न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹467.19 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2070" – "Narcotics Control - Expenditure on Control of Drug Abuse" – the original provision of ₹200.00 lakhs was augmented to ₹700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹467.19 lakhs - due to non-receipt of No Objection Certificate from District Collectors, Staggered release to other organisation, non-sanction of reward under FERA and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - राजस्व विभाग" के अंतर्गत ₹2451.84 लाख की बचत (₹14440.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनईवीएटी कम्प्यूटरीकरण परियोजना, टीआईएनएक्सएसवाईएस को लागू करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, पुरस्कार मामलों/अन्वेषणों को अन्तिम रूप न दिए जाने, एफआईयू-आईएनडी की फिन नेट परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने, कम्प्यूटरों और उनके बाह्य पूर्जों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2052"- "Secretariat – Department of Revenue" – saving of ₹2451.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14440.75 lakhs) was due to requirement of less funds for implementation of NEVAT computerisation project, TINXSYS, non-finalisation of reward cases/investigations, non-finalisation of Project FIN net of FIU-IND, less procurement of computers and its peripherals and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और एल्केलाइड उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2875"- "Opium and Alkaloid Industries" – savings occurred under the following heads:-

(का) "गाजीपुर अफीम कारखाना" -

(क) "अन्य व्यय" - ₹130.52 लाख की बचत (₹276.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के निर्यात मूल्य में कमी आने की वजह से उपकर प्रभारों/आवधिक प्रबंधन प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अफीम की खरीद" - ₹1997.68 लाख की बचत (₹4385.73 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Ghazipur Opium Factory"-

(a) "Other Expenditure' – saving of ₹130.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹276.60 lakhs) was due to requirement of less funds towards cess charges/terminal handling charges owing to decline in export price of opium.

(b) "Purchase of Opium" – saving of ₹1997.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4385.73 lakhs); and

(खा) "नीमच अफीम कारखाना - अफीम की खरीद" - ₹13903.45 लाख की बचत (₹24659.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अफीम की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कोडींन फास्फेट का कम आयात किए जाने, अफीम भंडारण के लिए प्लास्टिक कंटेनरों की कम खरीद किए जाने और उप स्वापक आयुक्तों को निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(गा) "गाजीपुर अल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय" - ₹1865.58 लाख की बचत (₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अच्छी/खराब गुणवता वाली अफीम की कम/ज्यादा मात्रा प्रभारित किए जाने और अल्केलायड उत्पादन के लिए अच्छी अफीम का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(घा) "नीमच अल्केलायड वर्क्स- प्रबंधन " - ₹701.67 लाख की बचत (₹5088.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कोडिइन फास्फोट का कम आयात किए जाने, अफीम भंडारण के लिए प्लास्टिक कंटेनरों की कम खरीद किए जाने और विनिमय दर में बदलाव आने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान - केंद्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" - ₹16622.00 लाख की बचत (₹400000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1400000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए अदायगी - राज्यों को वैट संबंधित व्यय के लिए अनुदान" - ₹17101.00 लाख की बचत (₹37500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना लागू किए जाने की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium" – saving of ₹13903.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24659.90 lakhs).

Savings under the above two heads were due to procurement of less opium, less import of codein phosphate, less purchase of plastic containers for opium storage and less requirement of funds by the Deputy Narcotics Commissioners.

(C) "Ghazipur Alkaloid Works – Other Expenditure"- saving of ₹1865.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs) was due to charging less/more quantity of good quality opium/inferior quality opium and less use of good opium for Alkaloid production.

(D) "Neemuch Alkaloid Works - Management"- saving of ₹701.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5088.45 lakhs) was due to procurement of less opium, less import of Codeine Phosphate, less purchase of plastic containers for opium storage and exchange rate variation.

(V) Under Major Head "3601" - "Non Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grant to Cover up Gap in Resources - Compensation to State Governments for Revenue loss due to phasing out of CST" - saving of ₹16622.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1400000.00 lakhs including supplementary grant of ₹400000.00 lakhs) was due to receipt of less CST claims from the State Governments.

(B) "Other Administrative Services – Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related Expenditure" - saving of ₹17101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37500.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of Mission Mode Project for Commercial Taxes by the State Governments.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए अदायगी - संघ राज्य क्षेत्रों को वैट संबंधित व्यय के लिए अनुदान" के अंतर्गत ₹1619.91 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना लागू करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियों की आवश्यकता होने और संघ राज्य क्षेत्रों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3602" - "Non Plan Grants – Other Administrative Services – Payments to States/UTs to Administration of Central Act and Regulations - Grants to UTs for VAT related expenditure" - saving of ₹1619.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of less funds from UTs for implementation of the Mission Mode Project for commercial Taxes and non-receipt of claims from UTs.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹81.92 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹81.92 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹53113.25 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹335981.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings was partly (₹53113.25 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹335981.00 lakhs in March, 2011 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2047" - "विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय" - ₹509.25 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹363.27 लाख था।

(A) Major Head "2047" - "Regulation of Foreign Exchange – Enforcement Directorate" - ₹509.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹363.27 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070"- "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष" - ₹200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹165.42 लाख था।

(B) Major Head "2070" – "International Co-operation - United Nations Fund for Drug Abuse Control" – ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹165.42 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान - वैट लागू करने के कारण राजस्व हानि होने के कारण राज्यों को प्रतिपूर्ति" - ₹52404.00 लाख।

(C) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Grants to cover up gap in Resources – Compensation to States for Revenue loss due to introduction of VAT" - ₹52404.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और अल्केलायड उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2875" – "Opium and Alkaloid Industries" – under the following heads:-

(का) "गाजीपुर अफीम कारखाना - प्रबंधन" - ₹103.25 लाख का अधिक व्यय (₹1741.71 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधि काउन्सेल और परामर्शदाताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने और रिक्त पदों के भरे जाने के कारण हुआ।

(A) "Ghazipur Opium Factory -Management"- excess of ₹103.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1741.71 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Legal Counsels and consultants, increase in dearness allowance rate and filling up of vacant posts.

(खा) "नीमच अल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय" - ₹900.00 लाख का अधिक व्यय (₹2160.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अल्केलायड औषधियों का उत्पादन करने के लिए अच्छी गुणवता वाली अफीम पर प्रभार लगाए जाने और अफीम के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(B) "Neemuch Alkaloid Works - Other Expenditure" - excess of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2160.25 lakhs) was due to charging of good quality opium for production of alkaloid drugs and increase in the rate of opium.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹275.70 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹2710.00 लाख के पूरक अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹275.70 lakhs) constituted more than 10 percent of the supplementary grants of ₹2710.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
पू.	S.	2600.00	2484.12	2484.12	..
पु.	R.	-115.88			
मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	77.00	55.34	17.27	-38.07
पू.	S.	100.00			
पु.	R.	-121.66			

(I) ₹74.50 लाख का प्रावधान दो मामलों में मुख्य शीर्ष "4875" - "अफीम और अल्केलायड उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹74.50 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4875"– "Opium and Alkaloid Industries" – under the following heads:-

(का) "नीमच अफीम कारखाना - संयंत्र और मशीनरी"- ₹49.50 लाख (₹40.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) विभिन्न उपस्करों के लिए बनाए गए प्रस्तावों को छोड़ देने और एफटी-एनआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण थे।

(खा) "नीमच अल्कालायड वर्क्स - संयंत्र और मशीनरी" - ₹25.00 लाख (₹20.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) विभिन्न उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4875" - "अफीम और अल्केलायड उद्योग - गाजीपुर अफीम कारखाना - संयंत्र और मशीनरी' के अंतर्गत ₹9.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹40.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹49.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹46.95 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) विभिन्न उपस्करों संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और एफटी - एनटीआर स्पैक्ट्रोफोटोमीटर की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - 'अन्य भवन - निर्माण - राजस्व भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹2600.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को राजस्व भवन के निर्माण के लिए कम निधियां जारी किए जाने के कारण ₹115.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

5. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलाइड फैक्टरियां:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचत परिसंपतियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा निम्न प्रकार से था:-

(A) "Neemuch Opium Factory – Plants and Machinery" – ₹49.50 lakhs (including supplementary grant of ₹40.00 lakhs) – due to dropping of proposals made for various equipments and requirement of less funds for purchase of FT-NIR spectrophotometer.

(B) "Neemuch Alkaloid Works – Plant and Machinery" – ₹25.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20.00 lakhs) – due to non-finalisation of proposals for purchase of various equipments.

(II) Under Major Head "4875" – "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory – Plant and Machinery" – the original provision of ₹9.00 lakhs was augmented to ₹49.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40.00 lakhs. However, there was a saving of ₹46.95 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of proposals for various equipments and non-purchase of FT-NIR Spectrophotometer.

(III) Under Major Head "4059" – "Other Buildings – Construction – Construction of Rajaswa Bhawan" – funds of ₹2600.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹115.88 lakhs – due to release of less funds to DRDO for construction of Rajaswa Bhawan.

5. ***Depreciation of Reserve Fund – Opium and Alkaloid Factories:-***

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

Account of Depreciation Reserve Fund for 2010-2011 was as follows:-

	गाजीपुर / Ghazipur		नीमच / Neemuch	
	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कारखाना Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कारखाना Alkaloid Works
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
अथशेष Opening Balance	7,92,85	7,79,45	4,11,05	13,67,40
प्राप्तियां Receipts	25,67	46,26	25,00	65,00
जमा किया गया Interest ब्याज Credited	25,59	29,15	20,30	58,60
अदायगियां Payments	..	..	..	..
अंतशेष Closing Balances	8,44,11	8,54,86	4,56,35	14,91,00